भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 136

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत आवंटित निधि

136. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत आवंटित निधियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत तमिलनाडु को आवंटित निधियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न योजनाओं के संबंध में आवंटित और व्यय की गई सीएसआर निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए विधिक ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 135 प्रत्येक कंपनी जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, अथवा टर्नओवर 1,000 करोड़ रूपये या उससे अधिक अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ रूपये या अधिक है, को कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार, तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए औसत निवल लाभ का न्यूनतम दो प्रतिशत व्यय करने हेतु अधिदेशित करती है। सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड को इसकी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर

कार्यकलापों की योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादित करने तथा मानीटरिंग करने का अधिकार है। सीएसआर ढांचा यह प्रावधान करता है कि कंपनी स्वयं द्वारा तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) में उल्लेख के अनुसार संस्थाओं के माध्यम से, सीएसआर कार्यकलाप प्रारंभ कर सकती है।

सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और कंपनियों की एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का विवरण फाइल करने की जरूरत है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनी द्वारा फाइल किया सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़ें, कंपनी वार, राज्यवार, जिलावार, विकास क्षेत्रवार सहित तथा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं www.csr.gov.in में सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है।

वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्ष (वि.व.) अर्थात् 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए देश में पीएसयू द्वारा किए गए क्षेत्रवार सीएसआर व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक-I में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वित्तीय वर्ष (वि.व.) अर्थात् 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए तमिलनाडु राज्य में क्षेत्रवार सीएसआर व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(ग): पिछले तीन वित्तीय वर्ष (वि.व.) अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए क्षेत्रवार सीएसआर व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक-III में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक - I

दिनांक 25.11.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएसयू द्वारा 2020-21 से 2022-23 तक क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	कृषि वानिकी	0.04	2.43	0.64
2	पशु कल्याण	1.93	3.16	2.70
3	सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, युद्ध विधवाएं /आश्रित	15.20	9.51	4.77
4	कला और संस्कृति	272.12	26.36	69.68
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	8.99	10.18	21.19
6	शिक्षा	676.54	822.23	665.44
7	पर्यावरणीय स्थिरता	102.33	274.09	263.93
8	लैंगिक समानता	0.25	1.28	2.89
9	स्वास्थ्य देखभाल	946.77	1,379.32	1,524.10
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	42.81	28.38	154.79
11	केंद्र सरकार की अन्य निधियां	966.21	865.46	403.56
12	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	389.46	119.32	23.26
13	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	464.25	379.05	371.73
14	स्वच्छ पेयजल	29.91	31.46	39.66
15	स्वच्छता	149.28	142.64	225.78
16	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	1.59	7.32	4.74
17	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	7.88	1.67	6.10
18	अनाथालय की स्थापना	1.40	1.37	1.99
19	स्लम क्षेत्र विकास	66.94	36.23	2.21
20	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	4.78	14.32	20.50
21	विशेष शिक्षा	7.65	3.94	11.48
22	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	7.96	0.61	-
23	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	26.48	56.61	102.15
24	व्यावसायिक कौशल	115.66	134.28	142.97
25	महिला सशक्तिकरण	11.56	19.01	29.49
26	एनईसी (अन्यत्र कवर नहीं)/उल्लेख नहीं किया गया *	168.28	-	-
	कुल योग	4,486.27	4,370.20	4,095.78

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक - II

<u>दिनांक 25.11.2024 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक</u>

तमिलनाडु में 2020-21 से 2022-23 तक क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	कृषि वानिकी	1.19	1.60	2.63
2	पशु कल्याण	5.61	9.28	8.80
3	सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, युद्ध विधवाएं /आश्रित	0.27	1.19	1.00
4	कला और संस्कृति	43.40	8.96	35.79
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	10.33	14.46	26.67
6	शिक्षा	407.72	412.33	635.04
7	पर्यावरणीय स्थिरता	98.73	135.73	93.67
8	लैंगिक समानता	1.12	3.46	1.65
9	स्वास्थ्य देखभाल	294.53	427.45	345.08
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	35.81	37.62	65.03
11	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	71.03	195.05	35.77
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	59.02	48.54	81.43
13	स्वच्छ पेयजल	18.63	10.82	12.29
14	स्वच्छता	34.09	16.88	27.44
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	2.44	3.40	8.05
16	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	6.21	8.31	0.73
17	अनाथालय की स्थापना	0.37	1.78	2.21
18	स्लम क्षेत्र विकास	4.07	1.14	6.53
19	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	6.18	16.80	5.97
20	विशेष शिक्षा	8.10	9.07	17.04
21	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	4.89	0.26	0.38
22	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	11.23	16.38	28.45
23	व्यावसायिक कौशल	39.00	35.98	93.56
24	महिला सशक्तिकरण	10.06	15.57	23.45
	योग	**1,174.03**	**1,432.06**	**1,558.66**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

******

अनुलग्नक - III

दिनांक 25.11.2024 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2020-21 से 2022-23 तक क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, युद्ध विधवाएं /आश्रित	0.05	0.05	0.05
2	कला और संस्कृति	1.29	0.05	0.02
3	शिक्षा	14.54	12.92	22.34
4	पर्यावरणीय स्थिरता	0.23	0.35	0.08
5	लैंगिक समानता	0.12	-	-
6	स्वास्थ्य देखभाल	7.12	18.51	9.03
7	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	5.53	0.69	2.06
8	स्वच्छ पेयजल	1.39	-	0.16
9	स्वच्छता	15.39	5.07	4.29
10	विशेष शिक्षा	-	-	0.76
11	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	-	0.31	0.53
12	व्यावसायिक कौशल	0.76	0.81	1.77
	कुल	**46.42**	**38.76**	**41.09**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

******